भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1442

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

अवैध बंगलादेशी अप्रवासी

†1442. श्री शिवकुमार उदासि:
श्रीमती हेमामालिनी:
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध अप्रवासियों के कारण असम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जननांकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने बंगलादेश के साथ इस प्रकार की घुसपैठ के मुद्दे का उठाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या बंगलादेश सरकार बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस लेने पर सहमत हो गई है;
(च) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और
(छ) यदि नहीं, तो अवैध बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) एवं (ख): पूर्वोत्तर राज्यों के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अवैध आप्रवासियों की वजह से इन राज्यों के कुछ भागों में जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक-दशाओं में परिवर्तन आया है।

बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रूप से भारत में रह रहे अन्य विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने तथा उनके प्रत्यावर्तन की शक्तियां विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। अवैध आप्रवासियों का पता लगाने तथा उनके प्रत्यावर्तन के लिए सरकार द्वारा असम राज्य में 36 विदेशी अभिकरणों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने

जून, 2013 में असम राज्य में 64 और विदेशी अभिकरणों की स्थापना किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, देश में अवैध आगमन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल का सुदृढ़ीकरण किया जाना तथा उन्हें आधुनिक एवं परिष्कृत उपकरणों/गैजेटों से सुसज्जित किया जाना; सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनों का गठन किया जाना; सीमा जांच चौकियों के बीच की दूरी को कम करना; गश्त को और अधिक गहन किया जाना; सीमावर्ती सड़कों के निर्माण और सीमा पर बाड़ लगाए जाने संबंधी कार्यक्रम को तीव्र करना; चौकसी उपकरणों का प्रावधान किया जाना इत्यादि शामिल है।

(ग) से (छ): बांग्लादेश से भारत में होने वाले अवैध आप्रवासन संबंधी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच होने वाली गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं सहित विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। भारत तथा बांग्लादेश ने तंत्रों की स्थापना की है, जिसमें सीमा पार से होने वाली अवैध आवाजाही से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, सीमा पर होने वाली घटनाओं के दायरे को कम करना तथा दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाना शामिल है। सीमा पार आपराधिक गतिविधियों तथा अवैध आवाजाही इत्यादि को रोकने के लिए दोनों पक्ष सुभेद्य स्थानों पर बाड़ लगाने के कार्य में भी परस्पर सहयोग कर रहे हैं। जब कभी किसी बांग्लादेशी नागरिक को भारत में अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे वापस बांग्लादेश प्रत्यावर्तित/निर्वासित कर दिया जाता है। जेलों/सुधार गृहों इत्यादि में बंद बांग्लादेशी नागरिकों के प्रत्यावर्तन/निर्वासन के लिए संबंधित जेल/सुधार गृह प्राधिकारी गृह मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय को संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा भेजकर उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन करने तथा बांग्लादेश के उच्चायोग द्वारा उन्हें यात्रा परमिट जारी किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। उनके यात्रा परिमिटों के आधार पर ही बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश प्रत्यावर्तित/निर्वासित किया जाता है। अवैध-मानव व्यापार की समस्या से निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए मुम्बई में अप्रैल, 2014 में अवैध मानव व्यापार संबंधी भारत-बांग्लादेशी कार्य बल की बैठक आयोजित की गई थी।

*****